IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
(U.P. HOUSING & DEVELOPMENT BOARD)
(जी0पी0एफ अनुभाग)
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

www.upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS

मानकः पथप्रदर्शकः

Bureau of Indian Standards

SQMS

पत्रांक: / जी0पी0एफ0 अनु0-2016-17 / दिनांक: 20.3.17

विज्ञप्ति

जी0पी0एफ0 मद की लगभग ₹ 168.60 करोड़ **(₹ एक सौ अड़सठ करोड़ साठ लाख) मात्र** की धनराशि एक वर्ष की अवधि के लिए अधिकतम् ब्याज दर पर विनियोजन हेतु प्रस्तावित है। उक्त के लिए लखनऊ स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों से उनके ब्याज दर हेतु बन्द लिफाफों में प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। बन्द लिफाफे दिनांक-31.03.2017 को अपरान्ह 12:30 बजे तक परिषद मुख्यालय पर वित्त अनुभाग के सहायक लेखाधिकारी के पास उपलब्ध टेण्डर बाक्स में डाले जायेंगे, जो समिति द्वारा केवल बैंक के उपस्थित शाखा प्रबन्धकों अथवा उनके द्वारा अधिकृत बैंक कर्मियों के समक्ष दिनांक-31.03.2017 को अपरान्ह 1:00 बजे खोले जायेंगे। किसी अन्य माध्यम से प्रेषित आफर स्वीकार नहीं किया जायेगा।

परिषद द्वारा उक्त धनराशि के विनियोजन हेतु बन्द लिफाफे में बैंकों द्वारा दी गई ब्याज दरें बल्क डिपाजिट (सम्पूर्ण धनराशि) हेतु ही मान्य/स्वीकार की जायेगी एवं इससे इतर दी गई ब्याज दरों एवं सशर्त ऑफर पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। विनियोजित की जाने वाली राशि तत्समय घट-बढ़ सकती है। घटी अथवा बढ़ी राशि हेतु भी उच्चतम दर ही मान्य होगी। कई बैंक शाखाओं की दरें समान होने पर विनियोजन की धनराशि विभाजित करके भी विनियोजित की जा सकती है।

प्रत्येक शाखा प्रबन्धक को अपने आफर में यह अकिंत करना होगा कि उसके द्वारा वर्णित की गयी उच्चतम ब्याज दर पर परिषद द्वारा विनियोजित किये जाने पर वह समस्त विनियोजित की जाने वाली धनराशि को लेने हेतु सहमत है। इस सहमति के अभाव में आफर निरस्त किया जा सकता है।

सम्बन्धित बैंक अपने द्वारा दिये गये आफर में, सम्बन्धित बैंक शाखा का नाम, आई0एफ0सी0 कोड, खाता संख्या, खाते के नाम सहित एवं शाखा प्रबन्धक का मोबाइल संख्या का अनिवार्य रूप से उल्लेख करें, जिससे विनियोजित की जाने वाली धनराशि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से सीधे बैंक के खाते में अन्तरित की जा सके।

(एस0 के0 गुप्ता)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक 507 / उक्त / दिनांक